



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

अंकीय मानचित्रण केन्द्र
DIGITAL MAPPING CENTRE
17 E.C. Road , GBO Compound,
DEHRA DUN – 248001
(Uttarakhand)

दूरभाष Telephone: कार्यालय Office:
2652403



अंकीय मानचित्रण केन्द्र का नेमी आदेश सं० ०२/ ३७-जी-११ दिनांक २/०५/२०१८

1. सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति:-

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय द्वारा निम्नलिखित रिप्रोडक्शन स्टॉफ डिविजन II कर्मचारियों को सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई है:-

क्रम सं०	नाम व पद	जिस पद पर पदोन्नत हुए	पदोन्नति की तिथि	टिप्पणी
1	श्री अशोक कुमार (अनु०जाति) रिटेचर फोटो ग्रेड-11	सीनियर रिप्रोग्राफर	26-02-2018(पूर्वाहन)	उत्तरी मुद्रण वर्ग कार्यालय से पदोन्नति व स्थानान्तरण पर आये।
2	श्री अजय कुमार(अनु०जाति) रिटेचर फोटो ग्रेड-11	सीनियर रिप्रोग्राफर	26-02-2018(पूर्वाहन)	-तदेव-
3	श्री धन सिंह(अनु०जाति) पूवर ग्रेड-11	सीनियर रिप्रोग्राफर	06-03-2018(पूर्वाहन)	-तदेव-
4	श्री आर०आर० बड़धवाल, डिस्पेचर ग्रेड-11	सीनियर रिप्रोग्राफर	06-04-2018(अप्रहान)	-तदेव-
5	श्री प्रवीन पाल, रिटेचर फोटो ग्रेड-11	सीनियर रिप्रोग्राफर	06-04-2018(अप्रहान)	-तदेव-
6	श्री राजीव कुमार, फोटोग्राफर ग्रेड-11	सीनियर रिप्रोग्राफर	06-04-2018(अप्रहान)	-तदेव-

यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सर्तकता / अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधी मामला लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश भारी नहीं माने जायेंगे।

यदि जाति का पुनः सत्यापन के पश्चात संबंधित कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदोन्नत कर दिया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नये वेतनमान में वेतन नियतन के लिये एफ0आर0 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा।

प्राधिकार:- (1) भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं0 744/972 दिनांक 13-2-2018

(2) भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं0 2013/972 दिनांक 2-4-2018

2. प्रशासन को मजबूत बनाना-50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारियों के पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार।

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति के द्वारा इस कार्यालय के श्री डी0एस0 राणा, अधिकांति सर्वेक्षक को उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया गया है :-

प्राधिकार:- (1) भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं0 2289/854-आर (गजटेट) दिनांक 16-4-2018

3. अस्थाई पदों की निरन्तरता:

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं0 23-28/89-सर-1 दिनांक 10-05-1973 जो कि भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं0 आर-18247/1442 दिनांक 21-05-1973 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ, के अन्तर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों के आधार पर इस कार्यालय के निम्नलिखित अस्थाई कर्मचारियों को उनके नाम के समक्ष दशाये गये विवरणानुसार आगामी एक वर्ष के लिए या इससे कम अवधि तक जब तक की उनकी सेवाओं की वास्तविक रूप से आवश्यकता हो, सरकारी सेवा में निरंतर बने रहने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं0	नाम व पदनाम	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान वेतनमान व लेवल	सरकारी सेवा में निरंतरता की अवधि कब से कब तक	टिप्पणी
2.	श्री नकुल सिमर, अवर श्रेणी लिपिक	23-09-2013	₹0 19,900-63,200 लेवल 2	01-03-2018 से 28-02-2019	अस्थाई

4.

स्थानान्तरण:-

इस कार्यालय से निम्नलिखित कर्मचारी पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर गये:-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	किस कार्यालय से	किस कार्यालय को	स्थानान्तरण की तिथि	टिप्पणी
1	श्री के०के० बोहरा, कार्यालय अधीक्षक	अंकीय मानचित्रण केन्द्र	महासर्वेक्षक कार्यालय	17-04-2018	स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हुए।

प्राधिकार:- (1) भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं० सी-1125/718-ए दिनांक 28-02-2018



(राजीव श्रीवास्तव)

निदेशक

अंकीय मानचित्रण केन्द्र

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून ।
2. अपर महासर्वेक्षक : विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून

ई-मेल द्वारा:-

3. अपर महासर्वेक्षक : पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता / पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग/मध्य क्षेत्र, जबलपुर/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़/दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलूर/मुद्रण क्षेत्र, हैदराबाद/भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद ।

3. निदेशक : पं० बंगाल और सिक्किम भू-स्था०आ०के० / पू०मु०वर्ग/ झारखण्ड भू-स्था०आ०के०/ उड़ीसा भू-स्था०आ०के०/ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश भू-स्था०आ०के०/ असम और नागालैण्ड भू-स्था०आ०के०/ त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम भू-स्था०आ०के०/ मध्य प्रदेश भू-स्था०आ०के०/ छत्तीसगढ़ भू-स्था०आ०के०/ महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्था०आ०के०/ राजस्थान भू-स्था०आ०के०/ गुजरात, दमन व दीव भू-स्था०आ०के०/ पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्था०आ०के०/ उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भू-स्था०आ०के०/ बिहार भू-स्था०आ०के०/ जम्मू और कश्मीर भू-स्था०आ०के०/ हिमाचल प्रदेश भू-स्था०आ०के०/ पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्था०आ०के०/ प०मु०वर्ग/ आंध्र प्रदेश भू-स्था०आ०के०/ द०मु०वर्ग/ कर्नाटक भू-स्था०आ०के०/ केरल एवं लक्षद्वीप भू-स्था०आ०के०/ तमिलनाडु, पांडिचेरी, अ० और निको० द्वीप समूह भू-स्था०आ०के०/ भौ०सू०प० एवं सु०सं० निदेशालय/ मा०अभि० एवं प्रसार केन्द्र/ राष्ट्रीय भू-स्था०आ०के०/ उत्तरी मुद्रण वर्ग/ सर्वेक्षण(ह०)/ दिल्ली भू-स्था०आ०के०/ अंतराष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ ज्यो० एवं अनु० शाखा प्रभारी, सर्वे आफ इण्डिया वेबसाईट द्वारा राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु। आपको उपरोक्त नेमी आदेश की .pdf फाइल तैयार कर ई-मेल द्वारा अलग से भेजी जा रही है। अनुरोध है कि नेमी आदेश को सर्वे आफ इण्डिया वेबसाईट में अपलोड करने की कृपा करें।